देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/66 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 24 अप्रैल 2021

नोटिस के बावजूद निर्माणकार्य!!!

रघुवीर जी,क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है??

जे.डी.ए. के ज़ोन-1 में स्थित आवासीय भूखंडो 3,4 दुर्गा विहार,प्रधान मार्ग,मालवीय नगर पर बनी अवैध दुकानों पर नोटिस के बावजूद शटर और छत पर टिनशेड लग गए !जबकि यह पूरा मामला ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान की निजी जानकारी में है और उनकी शह पर ही यह अवैध निर्माण करवाया जा रहा है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

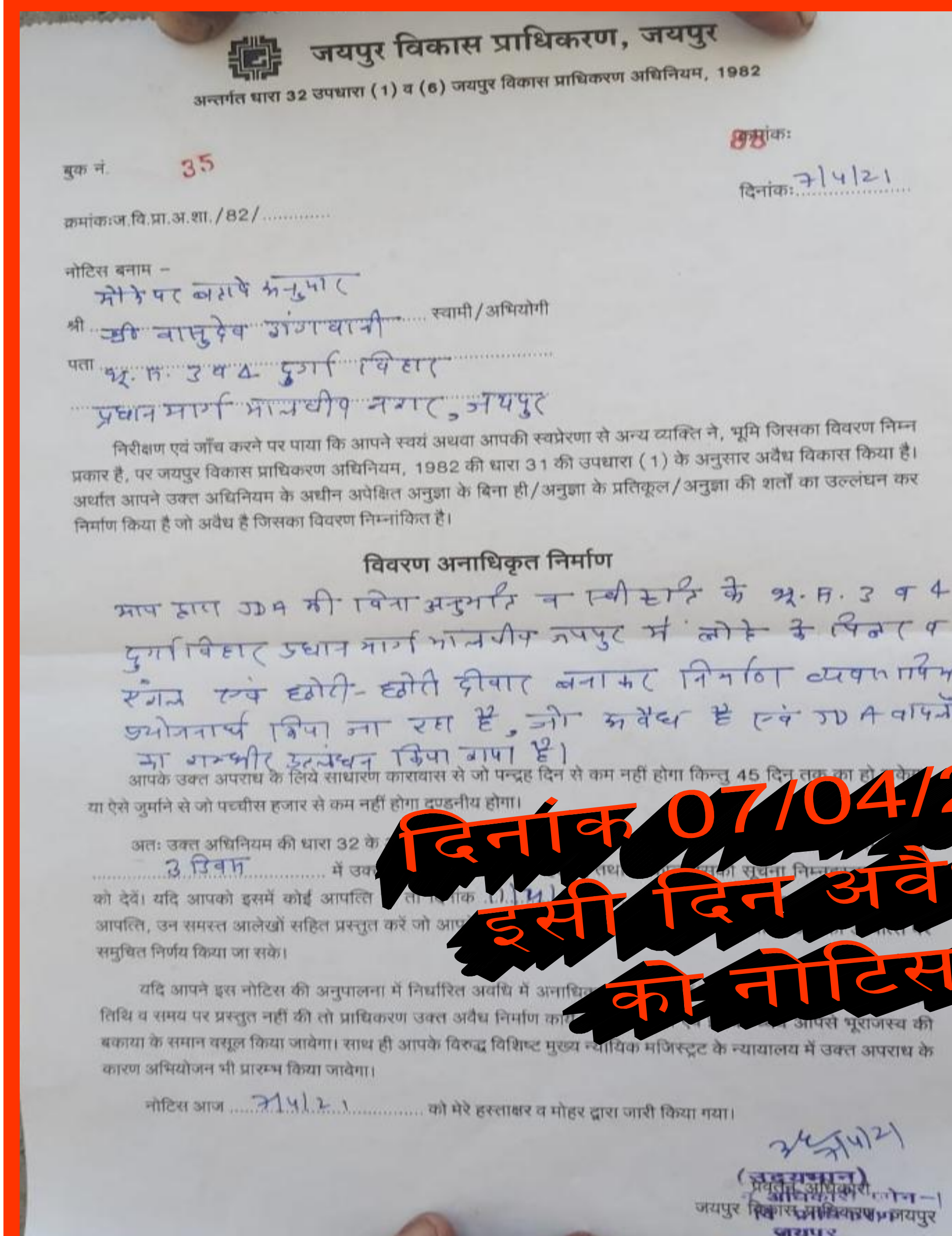

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

क्रमांकः 88

बुक नं. 35

दिनांकः 7/4/21

क्रमांकःज.वि.प्रा.अ.शा./82/............

नोटिस बनाम – मौके पर बताये अनुसार

श्री श्री वासुदेव गंगवानी ...... स्वामी/अभियोगी

पता प्ल. नं. 3 व 4 दुर्गा विहार प्रधान मार्ग मालवीय नगर, जयपुर

निरीक्षण एवं जाँच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण अनाधिकृत निर्माण

आप द्वारा JDA की बिना अनुमति व स्वीकृति के प्ल.नं. 3 व 4 दुर्गाविहार प्रधान मार्ग मालवीय जयपुर में लोहे के गर्डर व एंगल एवं छोटी-छोटी दीवार बनाकर निर्माण व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है, जो अवैध है एवं JDA नियमों का गम्भीर उल्लंघन किया गया है।

आपके उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के [illegible] 3 दिवस में उक्त [illegible] तथा [illegible] की सूचना निम्न [illegible] को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति [illegible] तो दिनांक [illegible] आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आप [illegible] समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधि[illegible] तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण का[illegible] आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज 7/4/21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

(उदयभान)
प्रवर्तन अधिकारी, जोन-1
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक 07/04/2021 की फोटो, इसी दिन अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस दिया गया।

दिनांक 11/04/2021 की फोटो,
इस दिन तक अवैध निर्माणकर्ता
को नोटिस का जवाब देना था,
लेकिन जवाब देने की बजाय
उसने शटर लगवा दिए।

दिनांक 24/04/2021 की फोटो,
काम रोकने की बजाय,
छत पर टीन शेड भी लगवा दिए

जे.डी.ए. के ज़ोन-1 में स्थित आवासीय भूखंडो 3,4 दुर्गा विहार,प्रधान मार्ग,मालवीय नगर पर बनी अवैध दुकानों का है मामला!

जे.डी.ए. के ज़ोन-1 में स्थित आवासीय भूखंडो 3,4 दुर्गा विहार,प्रधान मार्ग,मालवीय नगर पर बिना अनुमति,बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए अवैध दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा था|जिसकी शिकायत होने पर जे.डी.ए. द्वारा 07/04/2021 को अवैध निर्माणकर्ता श्री वासुदेव गंगवानी को धारा 32 का नोटिस दिया गया|इस नोटिस के तहत अवैध निर्माणकर्ता को अवैध निर्माण हटवाने अथवा अपनी आपत्ति नोटिस प्राप्ति के 3 दिवसों में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए है|परन्तु अवैध निर्माणकर्ता श्री वासुदेव गंगवानी द्वारा जवाब देने की बजाय अधुरा निर्माणकार्य द्रुत गति से चला दिया है |स्थानीय निवासियों के अनुसार उक्त दुकानों के शटर और छत पर टीन शेड भी चढ़ा दिए गए है और रातोरात इसका निर्माण भी पूर्ण करवा लिया जायेगा|

दुबई बाजार के मालिकों का है यह अवैध निर्माण|

जवाब मांगते सवाल?

- क्या जे.डी.ए. की अनअप्रूव्ड कोलोनी के दो आवासीय भूखंडों को बिना पुनर्गठित करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए,बिना सेटबैक छोड़े और पार्किंग सुविधा के व्यवसायिक शोरूम का निर्माण किया जा सकता है?
- इस अवैध काम्प्लेक्स के निर्माण से जे.डी.ए. को होने वाले राजस्व की हानि का जिम्मेदार कौन है?
- यदि जे.डी.ए. के नोटिस देने के बावजूद काम नहीं रुक रहा तो नोटिस देने की कागजी कार्यवाही क्यों की जाती है?
- क्या यह निर्माणकार्य जे.डी.ए. के अधिकारीयों की सांठ-गाँठ से करवाया जा रहा है?
- कौन है इस अवैध निर्माण को करवाने वाला?क्या है उसके रसूखात?
- आज दिनांक तक कितने अवैध निर्माण करवा चूका है यह अवैध निर्माणकर्ता?
- क्या नोटिस के बताये गए अनुसार अवैध निर्माण सिद्ध होने पर अवैध निर्माण के लिए 15 से 45 दिन के कारावास या पच्चीस हजार का जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी?
- ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान के कार्यकाल में कितने अवैध निर्माणों पर केवल इसी तरह की कागजी नोटिस देने की फौरी कार्यवाही कर,अवैध निर्माण खड़े करवा दिए गए?
- क्या यह मामला अब जे.डी.ए. के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर प्रसाद सैनी के संज्ञान में आने के बाद वह ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान को इस अवैध शोरूम को सील करने का आदेश देंगे?